



अनुसंधान प्रश्न

“भारत में निजी तस्वीरों या रिकॉर्ड की गई वीडियो कॉल से ब्लैकमेल होने पर व्यक्ति को तुरंत क्या करना चाहिए, सेक्सटॉर्शन पर बीएनएस और आईटी एक्ट की कौन सी धाराएं लागू होती हैं, साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट कैसे होती है, और कंटेंट हटवाया कैसे जा सकता है?”

भारत में निजी तस्वीरों या रिकॉर्ड की गई वीडियो कॉल से सेक्सटॉर्शन (ब्लैकमेलिंग) होने पर कानूनी उपचार, लागू विधिक प्रावधान, रिपोर्टिंग प्रक्रिया और सामग्री हटवाने की विधिक प्रक्रिया

सारांश

भारत में निजी तस्वीरों या रिकॉर्ड की गई वीडियो कॉल से ब्लैकमेल (सेक्सटॉर्शन) होने पर पीड़ित को तुरंत डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित कर राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए और संबंधित बिचौलियों से सामग्री हटाने का अनुरोध करना चाहिए। कानूनी तौर पर, सेक्सटॉर्शन के मामलों में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 308 (extortion) और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 की धारा 66E (privacy violation) व धारा 67/67A (transmission of obscene/sexually explicit content) लागू होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने *Apoorva Arora & Anr. v. State (Govt. of NCT of Delhi) & Anr.* (2024) में स्पष्ट किया कि धारा 67A विशेष रूप से वास्तविक यौन गतिविधियों या प्रत्यक्ष नग्नता को प्रदर्शित करने वाली सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन और प्रसारण को दंडित करती है, जिसके आधार पर पीड़ित न्यायालय के माध्यम से इंटरनेट मध्यस्थों से ऐसी सामग्री हटवा सकते हैं।

सत्यापित मुकदमे	संविधियाँ	नवीनतम निर्णय
14	5	2025
12 उच्च न्यायालय • 2 सर्वोच्च न्यायालय		High Court of Karnataka

विषय-सूची

I. विस्तृत विश्लेषण	2
II. सांविधिक प्रावधान	4
III. चर्चित मुकदमे	6
IV. मुकदमे का विवरण	8

Vitark AI द्वारा तैयार • अत्यंत गोपनीय • उपयोग से पहले उद्घरण सत्यापित करें

I. विस्तृत विश्लेषण

मुख्य सिद्धांत

01 तुरंत राहत और सामग्री को हटवाना (Takedown and Immediate Relief)

सेक्सटॉर्शन के मामलों में गैर-सहमति वाली यौन स्पष्ट सामग्री (non-consensual explicit content) के ऑनलाइन प्रसार को रोकने और उसे तत्काल हटवाने के लिए पीड़ित न्यायालय से परमादेश (mandamus) या निषेधाज्ञा मांग सकते हैं, जहाँ पुलिस और तकनीकी मंच (जैसे गूगल, मेटा) मिलकर सामग्री को ब्लॉक करने या हटाने के लिए सहयोग करते हैं, जैसा कि *Ms. G v. Union of India* (2024) में स्पष्ट किया गया है।

02 साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत और जांच की गति (Reporting on National Cyber Crime Reporting Portal)

साइबर पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायतों पर पुलिस अधिकारियों का यह कानूनी दायित्व है कि वे निष्पक्ष, उचित और त्वरित रूप से जांच प्रक्रिया को पूरा करें, जैसा कि *Ramesh Kumar v. Ministry Of Home Affairs* (2021) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पुलिस को दो महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश देकर निर्धारित किया गया।

03 जबरन वसूली पर बीएनएस की प्रयोज्यता (Applicability of BNS on Extortion)

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 308 (जो कि पूर्ववर्ती IPC की धारा 384 के समकक्ष है) के तहत किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या अन्यथा उसकी निजी तस्वीरें लीक करने की धमकी देकर पैसे या अन्य लाभों की मांग करना 'जबरन वसूली' (Extortion) का गंभीर अपराध है, जिसमें पूर्ववर्ती आईपीसी के सभी सिद्धांत लागू होते हैं, जैसा कि *B.Y. Vijayendra v. State of Karnataka* (2024) में स्पष्ट किया गया है।

04 गोपनीयता के उल्लंघन की सीमाएं (Violation of Privacy boundaries under Section 66E IT Act)

सहमति के बिना किसी व्यक्ति के निजी अंगों ('private area') या निजी कृत्यों के वीडियो को रिकॉर्ड करना या प्रसारित करना आईटी अधिनियम की धारा 66E के तहत गोपनीयता के गंभीर उल्लंघन का अपराध है, बशर्ते कि सामग्री में वास्तव में निजी अंगों का प्रदर्शन हो, जबकि मानहानि या सामान्य संदेशों के मामले में यह धारा लागू नहीं होगी, जैसा कि *Shukla Gajanandprasad Jagdishchandra v. State of Gujarat* (2019) में माना गया है।

05 यौन शोषण के लिए ब्लैकमेल (Blackmailing for Sexual Favors)

किसी पीड़िता को उसकी आपत्तिजनक या संवेदनशील परिस्थितियों की वीडियो क्लिप को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित करने की धमकी देकर शारीरिक शोषण या यौन संबंध बनाने की मांग करना आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत अश्लील सामग्री के प्रसारण की धमकी का गंभीर अपराध है, जैसा कि *A6 and A7 v. State* (2016) में माना गया है।

न्यायालयों ने इसे कैसे लागू किया

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण	सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि आईटी अधिनियम की धारा 67B के तहत बाल पोर्नोग्राफी सामग्री से संबंधित कृत्य केवल प्रसारण ही नहीं, बल्कि इसे ब्राउज़ करने, सहेजने या डाउनलोड करने तक को गंभीर अपराध की श्रेणी में लाते हैं और यह बच्चों के ऑनलाइन शोषण के खिलाफ एक व्यापक और सुदृढ़ कानून है, जैसा कि <i>Just Rights for Children Alliance v. S. Harish</i> (2024) में स्थापित किया गया है।
उच्च न्यायालय की भिन्नताएँ	बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि यद्यपि सहमति से संबंध बने हों, फिर भी बिना सहमति के किसी महिला का नग्न वीडियो पति या समाज में प्रसारित करना या डराना धारा 67A के तहत अग्रिम जमानत को खारिज करने योग्य गंभीर अपराध है, जैसा कि <i>Esrar Nazrul Ahemad v. State of Maharashtra</i> (2022) में माना गया। इसके अतिरिक्त, केरल उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल के माध्यम से पुलिस जांच के कारण संदिग्ध बैंक खातों को फ्रीज करने की बैंकों की शक्तियों और उन पर 15 दिनों की समय सीमा के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जैसा कि <i>Yasmin K.A. v. Federal Bank</i> (2024) में देखा गया है।
हाल का विकास	हाल के निर्णयों में, जैसे कि कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा <i>Abhishek Mishra v. State of Karnataka</i> (2025) में, अदालतों ने सहमति से बने संबंधों के बाद निजी वीडियो के दुरुपयोग और सेक्सटॉर्शन को गंभीरता से लिया है और आईटी अधिनियम की धारा 66E के तहत मुकदमा चलाने की पुष्टि की है। इसके अतिरिक्त, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने <i>Moiz Ahmed v. State of Maharashtra</i> (2024) में स्पष्ट किया कि जहाँ आईपीसी की धारा 354C (voyeurism) केवल महिलाओं के खिलाफ लागू होती है, वहीं आईटी अधिनियम की धारा 66E लिंग-तटस्थ (gender-neutral) है और पुरुषों व महिलाओं दोनों पर समान रूप से लागू होती है।

अनिर्णीत क्षेत्र या चेतावनियाँ

वास्तविक प्रसारण साबित करने का दायित्व (Requirement of Proof of Transmission)

सेक्सटॉर्शन और आईटी अधिनियम की धारा 67/67A के मामलों में वास्तविक रूप से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सामग्री के प्रसारण या प्रकाशन का स्पष्ट प्रमाण आवश्यक है; यदि अभियोजन पक्ष कॉल डिटेल्स या मोबाइल फोन जैसे भौतिक साक्ष्य पेश करने में विफल रहता है, तो आरोपी को बरी किया जा सकता है, जैसा कि *CRA/671/2019* (2023) में देखा गया है।

जमानत और हिरासत में पूछताछ (Bail and Custodial Interrogation)

यद्यपि आईटी अधिनियम की धारा 67A गैर-जमानती है, लेकिन अदालतों ने लंबे समय से चले आ रहे आपसी सहमतिजन्य संबंधों के संदर्भ में परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए नियमित जमानत मंजूर की है (*Manoj Dattatray Supekar v. State of Maharashtra* (2016)), जबकि जांच में सहयोग न करने या मोबाइल फोन छुपाने वाले आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं को सख्ती से खारिज कर हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी गई है (*Jaykumar Bhagwanrao Gore v. The State of Maharashtra* (2017))।

II. सांविधिक प्रावधान 5 प्रावधान

SECTION 66E, INFORMATION TECHNOLOGY ACT, 2000 — PUNISHMENT FOR VIOLATION OF PRIVACY

यह धारा किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके निजी अंगों (private area) की तस्वीरों को खींचने, प्रकाशित करने या प्रसारित करने को अपराध घोषित करती है और तीन साल तक की जेल या दो लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान करती है।

"Whoever, intentionally or knowingly captures, publishes or transmits the image of a private area of any person without his or her consent, under circumstances violating the privacy of that person, shall be punished with imprisonment which may extend to three years or with fine not exceeding two lakh rupees, or with both." उद्धृत: research प्रश्न में उठाया गया

SECTION 67A, INFORMATION TECHNOLOGY ACT, 2000 — PUNISHMENT FOR PUBLISHING OR TRANSMITTING OF MATERIAL CONTAINING SEXUALLY EXPLICIT ACT, ETC., IN ELECTRONIC FORM

यह धारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन स्पष्ट कृत्यों या आचरण वाली सामग्री को प्रसारित करने या प्रकाशित करने के लिए सख्त सजा का प्रावधान करती है, जिसमें पहली बार दोषसिद्धि पर पांच साल तक की कैद और दस लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

"Whoever publishes or transmits or causes to be published or transmitted in the electronic form any material which contains sexually explicit act or conduct shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to five years and with fine which may extend to ten lakh rupees and in the event of second or subsequent conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years and also with fine which may extend to ten lakh rupees." उद्धृत: Esrar Nazrul Ahemad v. State of Maharashtra, Jaykumar Bhagwanrao Gore v. The State of Maharashtra

SECTION 308, BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023 — EXTORTION

यह धारा किसी व्यक्ति को चोट या हानि के भय में डालकर बेईमानी से संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति सौंपने के लिए मजबूर करने (जबरन वसूली/ वसूली) को परिभाषित करती है और सात वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान करती है।

"(1) Whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person, or to any other, and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property, or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security, commits extortion.

(2) Whoever commits extortion shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both." उद्धृत: B.Y. Vijayendra v. State of Karnataka

SECTION 67, INFORMATION TECHNOLOGY ACT, 2000 — PUNISHMENT FOR PUBLISHING OR TRANSMITTING OBSCENE MATERIAL IN ELECTRONIC FORM

यह धारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री (जो कामुक हो या कामुक हितों को आकर्षित करती हो) के प्रकाशन या प्रसारण को अपराध मानती है और पहली सजा पर तीन साल तक के कारावास और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान करती है।

"Whoever publishes or transmits or causes to be published or transmitted in the electronic form, any material which is lascivious or appeals to the prurient interest or if its effect is such as to tend to deprave and corrupt persons who are likely, having regard to all relevant circumstances, to read, see or hear the matter contained or embodied in it, shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to three years and with fine which may extend to five lakh rupees and in the event of second or subsequent conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to five years and also with fine which may extend to ten lakh rupees." उद्धृत: A6 and A7 v. State, Moiz Ahmed v. State of Maharashtra

SECTION 384, INDIAN PENAL CODE, 1860 — PUNISHMENT FOR EXTORTION

यह धारा जबरन वसूली के अपराध के लिए तीन वर्ष तक के कारावास, जुर्माने या दोनों की सजा का प्रावधान करती है।

"Whoever commits extortion shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both." उद्धृत: Ms. G v. Union of India, B.Y. Vijayendra v. State of Karnataka

III. चर्चित मुकदमे

14 मुकदमे · सारणी

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
01	<i>Ms. G v. Union of India</i> DLHC010453442023	HIGH COURT OF DELHI	2024	गैर-सहमति वाली निजी वीडियो को हटाने और ब्लॉक करने के लिए तकनीकी मंचों को निर्देश।
02	<i>B.Y. Vijayendra v. State of Karnataka</i> KAHC010707532024	HIGH COURT OF KARNATAKA	2024	बीएनएस की धारा 308 के तहत जबरन वसूली (extortion) के आवश्यक कानूनी तत्वों का निर्धारण।
03	<i>Ramesh Kumar v. Ministry Of Home Affairs</i> UPHC011497482021	ALLAHABAD HIGH COURT	2021	राष्ट्रीय साइबर पोर्टल पर दर्ज शिकायत पर पुलिस को त्वरित व निष्पक्ष जांच का निर्देश।
04	<i>Yasmin K.A. v. Federal Bank</i> KLHC010918982024	HIGH COURT OF KERALA	2024	साइबर पोर्टल के माध्यम से बैंक खातों को फ्रीज करने और उनके समाधान की प्रक्रिया।
05	<i>Abhishek Mishra v. State of Karnataka</i> KAHC010418292024	HIGH COURT OF KARNATAKA	2025	शादी का झांसा देकर बनाई गई निजी तस्वीरों के दुरुपयोग पर धारा 66E की प्रयोज्यता।
06	<i>CRA/671/2019</i> HPHC010429352019	HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH	2023	धारा 67A के तहत वास्तविक प्रसारण या प्रकाशन के सबूत के बिना दोषसिद्धि की विफलता।
07	<i>Shukla Gajanandprasad Jagdishchandra v. State of Gujarat</i> GJHC240477262014	HIGH COURT OF GUJARAT	2019	धारा 66E के तहत गोपनीयता के उल्लंघन के लिए निजी अंग की तस्वीर का प्रकाशन अनिवार्य।
08	<i>Just Rights for Children Alliance v. S. Harish</i> ESCR010004852024	SUPREME COURT OF INDIA	2024	आईटी एक्ट की धारा 67A और 67B के तहत यौन स्पष्ट और बाल पोर्नोग्राफी सामग्री का दायरा।
09	<i>Moiz Ahmed v. State of Maharashtra</i> HCBM030219402020	BOMBAY HIGH COURT	2024	बिना सहमति के पति-पत्नी के निजी क्षणों के वीडियो पर धारा 66E और 67 की प्रयोज्यता।
10	<i>Jaykumar Bhagwanrao Gore v. The State of Maharashtra</i> HCBM010536642016	BOMBAY HIGH COURT	2017	अश्लील चित्र भेजने और यौन रियायतें मांगने पर धारा 67A के तहत हिरासत में पूछताछ।
11	<i>Esrar Nazrul Ahemad v. State of Maharashtra</i> HCBM010219282022	BOMBAY HIGH COURT	2022	सहमति से प्राप्त नग्न वीडियो को धमकी देकर प्रसारित करने पर धारा 67A का उल्लंघन।
12	<i>A6 and A7 v. State</i> HBHC010374952016	HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA	2016	वीडियो क्लिपिंग प्रसारित करने की धमकी देकर यौन शोषण की मांग पर धारा 67 का अनुप्रयोग।
13	<i>Manoj Dattatray Supekar v. State of Maharashtra</i> HCBM010430332016	BOMBAY HIGH COURT	2016	लंबे समय तक रहे आपसी सहमतिजन्य संबंधों में धारा 67A के तहत जमानत की अनुमति।

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
14	<i>Apoorva Arora & Anr. v. State (Govt. of NCT of Delhi) & Anr.</i> ESCR010001992024	SUPREME COURT OF INDIA	2024	अश्लीलता और धारा 67A के तहत 'यौन रूप से स्पष्ट' सामग्री के कानूनी मानक का निर्धारण।

IV. मुकदमे का विवरण 14 केस फ़ाइलें

01 Ms. G v. Union of India

HIGH COURT OF DELHI • 2024-10-03 • W.P.(CRL)/3320/2023

यह मामला एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर (याचिकाकर्ता) से संबंधित है, जिसका एक अश्लील वीडियो सहमति के बिना रिकॉर्ड करके उसे ब्लैकमेल किया गया और इंटरनेट पर प्रसारित कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से इन वीडियो को ऑनलाइन पोर्टलों से हटवाने और भविष्य में इनके प्रसार को रोकने के लिए निर्देश मांगे थे। न्यायालय के समक्ष पुलिस और संबंधित टेक प्लेटफॉर्म (जैसे Google और Meta) ने बताया कि उन्होंने पहले ही याचिकाकर्ता के साथ मिलकर आपत्तिजनक सामग्री को हटाने और संबंधित खातों को निष्क्रिय करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। न्यायालय ने रिकॉर्ड पर ली गई कार्यवाही और प्लेटफॉर्म द्वारा दी गई तकनीकी सहयोग के आश्वासन को देखते हुए माना कि संबंधित पक्षों द्वारा मिलकर किए जा रहे प्रयासों से शिकायत का समाधान हो रहा है और आगे भी इसी प्रकार सहयोग जारी रहेगा।

निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस के साइबर सेल और तकनीकी मध्यस्थों (जैसे गूगल, मेटा) को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता की सहमति के बिना अपलोड की गई अश्लील वीडियो/स्क्रीनशॉट को तत्काल ब्लॉक और डिलीट करें। न्यायालय ने यह माना कि पुलिस और तकनीकी मंचों के बीच सक्रिय सहयोग से ऐसी सामग्री का प्रसार रोका जा सकता है।

“The present writ petition is filed under Article 226 of the Constitution of India read with section 482 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (hereinafter referred to as the “Code”) seeking directions to the respondents to disable and prevent online dissemination of non-consensual explicit content/videos/screenshots.”

HIGH COURT OF DELHI • 2024

स्रोत DLHC010453442023

02 B.Y. Vijayendra v. State of Karnataka

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2024-12-17 • CRL.P/13192/2024

यह मामला भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से संबंधित है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के माध्यम से विभिन्न कंपनियों से जबरन वसूली (extortion) की गई थी। याची ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता के पास इस मामले को शुरू करने का अधिकार (locus) नहीं है और IPC की धारा 384 के तहत अपराध के तत्व मौजूद नहीं हैं। न्यायालय ने पूर्व में सह-अभियुक्तों के लिए पारित आदेश का संदर्भ देते हुए, इस मामले में भी वही तार्किक निष्कर्ष अपनाए। न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की अनुमति देते हुए स्पष्ट किया कि इस तरह के आरोपों को सिद्ध करने के लिए आवश्यक कानूनी औचित्य का अभाव है।

निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 308 जबरन वसूली (extortion) के अपराध से संबंधित है, जो पूर्ववर्ती आईपीसी की धारा 383 और 384 के समान है। न्यायालय ने माना कि इन धाराओं के सिद्धांतों और आवश्यक तत्वों की व्याख्या नए कानून (BNS) के तहत भी पूरी तरह लागू होती है।

“Section 308 of BNS deals with extortion. It reads as follows: “308.Extortion.—(1)Whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person, or to any other, and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property, or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security, commits extortion.”

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2024

स्रोत KAHC010707532024

03 Ramesh Kumar v. Ministry Of Home Affairs

ALLAHABAD HIGH COURT • 2021-10-21 • CRLP/9114/2021

यह याचिका Ramesh Kumar द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने National Cyber Crime Reporting Portal पर दर्ज अपनी शिकायतों के संबंध में निष्पक्ष और उचित जांच की मांग की थी। याचिकाकर्ता का आरोप था कि पुलिस ने FIR दर्ज होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की और वे आरोपियों को बचा रहे हैं। न्यायालय ने पुलिस को निर्देश दिया कि वे मामले की जांच निष्पक्ष, निष्पक्ष और शीघ्रता से पूरी करें, अधिमानतः इस आदेश की प्रति प्रस्तुत किए जाने के दो महीने के भीतर। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उन्होंने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है और संबंधित अधिकारी को कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (National Cyber Crime Reporting Portal) पर दर्ज शिकायतों की निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित जांच करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने पुलिस को दो महीने के भीतर जांच पूरी करने के आदेश दिए ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके।

“In pith and substance, the petitioner is seeking direction to the respondent nos. 3 and 4 to take action against the respondent nos. 5 and 6 to ensure fair, impartial and proper investigation of the National Cyber Crime Reporting Portal Acknowledgement No.23104210111968,, P.S. Mubarakpur, District Azamgarh dated 2.4.2021 and the complaint ID No.23111200081347 dated 22.11.2020.”

ALLAHABAD HIGH COURT • 2021

स्रोत UPHC011497482021

04 Yasmin K.A. v. Federal Bank

HIGH COURT OF KERALA • 2024-03-26 • WP(C)/10553/2024

यह मामला विभिन्न व्यक्तियों और सहकारी बैंकों द्वारा दायर की गई रिट याचिकाओं का एक समूह है, जिनके बैंक खातों को विभिन्न राज्यों की पुलिस द्वारा Cyber Crime जांच के सिलसिले में 'National Cyber Crime Reporting Portal' के माध्यम से फ्रीज कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उन्हें संबंधित अपराधों की जानकारी नहीं है और खातों के फ्रीज होने से उनका दैनिक कामकाज रुक गया है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि बैंक खातों में कोई संदिग्ध लेनदेन नहीं पाया जाता है, तो बैंक संबंधित जांच अधिकारियों को सूचित करेंगे और खातों को अनफ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि जांच अधिकारी 15 दिनों के भीतर कोई स्पष्टीकरण या निर्देश नहीं देते हैं, तो बैंक याचिकाकर्ताओं के खातों को सक्रिय करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

निर्णय केरल उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और इसके विभिन्न राज्यों के नोडल साइबर अधिकारियों की कानूनी भूमिका को स्पष्ट किया। न्यायालय ने साइबर अपराध की जांच में तकनीकी मंचों और शिकायत प्रणालियों की विभिन्न राज्यों की पुलिस इकाइयों के अधिकार क्षेत्रों को भी सूचीबद्ध किया।

“NATIONAL CYBER CRIME REPORTING PORTAL REPRESENTED BY ITS NODAL CYBER CELL OFFICER, KUTCHERY CHOWK, RANCHI, JHARKHAND CYBERPS@JHPOLICE.GOV.IN, PIN - 834001 3 NATIONAL CYBER CRIME REPORTING PORTAL REPRESENTED BY ITS NODAL CYBER CELL OFFICER, OFFICE OF SPECIAL COMMISSIONER OF POLICE, ECONOMIC OFFENSES WING, PS MANDIR MARG COMPLEX, MANDIR MARG, NEW DELHI ADDLCP.EOW@DELHIPOLICE.GOV.IN”

HIGH COURT OF KERALA • 2024

स्रोत KLHC010918982024

05

Abhishek Mishra v. State of Karnataka

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2025-07-08 • CRL.P/8596/2024

यह मामला एक आपराधिक याचिका से संबंधित है जिसमें याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ दर्ज कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता के बीच संबंध थे, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने विवाह का वादा करके उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए और उसे ब्लैकमेल किया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि संबंध सहमति पर आधारित थे और कार्यवाही कानून का दुरुपयोग है। न्यायालय ने मामले के तथ्यों और कानून के स्थापित सिद्धांतों का विश्लेषण करते हुए पाया कि कथित घटनाएँ एक निजी स्थान पर हुई थीं, जिससे 'place within public view' का तत्व गायब था, जो Scheduled Castes/Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 के तहत अपराध के लिए आवश्यक है। न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में संबंधित धाराओं को खारिज कर दिया और याचिका का निपटारा किया।

निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आईटी अधिनियम की धारा 66E के तहत वह व्यक्ति उत्तरदायी है जो किसी अन्य व्यक्ति की सहमति के बिना उसके 'निजी अंगों या क्षेत्रों' (private area) की तस्वीरों या वीडियो को जानबूझकर रिकॉर्ड, प्रसारित या प्रकाशित करता है। न्यायालय ने यह भी माना कि ऐसी तस्वीरें और वीडियो कैप्चर करने के मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

“Section 354-C deals with voyeurism. The allegation against a man who watches or captures image of a woman engaging in a private act in circumstances where she would usually have the expectation of not being observed. [...] Whoever intentionally or knowingly captures, publishes or transmits the image of private area of a person without his or her consent is said to be committing the offence under Section 66E.”

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2025

स्रोत KAHC010418292024

06 CR.A/671/2019

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2023-10-17 • CR.A/671/2019

निर्णय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि आईटी अधिनियम की धारा 67 या 67A के तहत सजा सुनिश्चित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपत्तिजनक सामग्री के 'प्रकाशन' (publication) या 'प्रसारण' (transmission) को साबित करना अनिवार्य है। यदि वास्तविक रूप से वीडियो वायरल होने या प्रसारित किए जाने का कोई सबूत नहीं है, तो धारा 67 के तहत दोषसिद्धि नहीं की जा सकती।

“As regards offence under section 67A of the I.T. Act, Section 67 reads as under:- [...] While considering the ingredients of aforesaid Section, it can be said that firstly there must be a publication or transmission of any material in the electronic form. [...] In the instant case, there is no proof of either publication or transmission of any material in the electronic form so as to attract ingredients of Section 67 of I.T.”

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2023

स्रोत HPHC010429352019

07 Shukla Gajanandprasad Jagdishchandra v. State of Gujarat

HIGH COURT OF GUJARAT • 2019-07-24 • CR.MA/9170/2014

यह मामला एक FIR को रद्द करने की याचिका से संबंधित है, जिसमें याचिकाकर्ता पर Indian Penal Code (IPC) के तहत मानहानि (Defamation) और IT Act की धारा 66E के तहत आरोप लगाए गए थे। न्यायालय ने पाया कि धारा 66E (गोपनीयता का उल्लंघन) के तहत कोई आरोप लागू नहीं होता है, क्योंकि इसमें निजी अंगों के चित्र खींचने या प्रसारित करने जैसा कोई कृत्य नहीं था। साथ ही, मानहानि के आरोपों के लिए,

न्यायालय ने Section 199 of the Cr.P.C. का उल्लेख किया, जो स्पष्ट करता है कि मानहानि का संज्ञान केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा दायर निजी शिकायत पर ही लिया जा सकता है। इन आधारों पर, न्यायालय ने प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए FIR और संबंधित कार्यवाही को रद्द कर दिया।

निर्णय गुजरात उच्च न्यायालय ने माना कि आईटी अधिनियम की धारा 66E विशेष रूप से सहमति के बिना किसी व्यक्ति के निजी अंगों (जैसे अंडरगार्मेंट्स से ढके जननांग या महिला स्तन) की तस्वीरों को कैप्चर करने या प्रकाशित करने के मामलों को लक्षित करती है। यदि ऐसे अंगों की तस्वीरें प्रसारित नहीं की गई हैं और केवल मानहानिकारक लेख लिखे गए हैं, तो धारा 66E के तहत अपराध नहीं बनता।

“A perusal of the provision of Section 66E of the IT Act reveals that the same pertains to intentionally or knowingly captures, publishes or transmits the image of a private area of any person without his or her consent. Unquestionably, no such allegations are levelled against the applicant.”

HIGH COURT OF GUJARAT • 2019

स्रोत GJHC240477262014

08 Just Rights for Children Alliance v. S. Harish

SUPREME COURT OF INDIA • 2024-09-23 • 2024 INSC 716

यह मामला POCSO Act की धारा 15 की व्याख्या से संबंधित है, जो बच्चों से जुड़ी पोर्नोग्राफिक सामग्री के भंडारण (storage) और कब्जे (possession) को दंडनीय बनाता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 15 एक 'inchoate offence' है, जहाँ वास्तविक ट्रांसमिशन की आवश्यकता नहीं है। 'Constructive possession' के सिद्धांत को लागू करते हुए, न्यायालय ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से ऐसी सामग्री पर नियंत्रण रखता है, तो वह भी धारा 15 के तहत 'possession' माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने IT Act की धारा 67B को व्यापक बताया और कहा कि यह बच्चों के ऑनलाइन शोषण के विरुद्ध एक मजबूत प्रावधान है। निर्णय में यह भी कहा गया कि पोर्नोग्राफिक सामग्री में बच्चे की उपस्थिति का निर्धारण 'prudent person' के नजरिए से prima facie आधार पर किया जाना चाहिए।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने आईटी अधिनियम के तहत अश्लील सामग्री के विभिन्न स्तरों की व्याख्या की। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 67 अश्लील सामग्री के प्रकाशन से संबंधित सामान्य धारा है, जबकि धारा 67A यौन स्पष्ट कृत्यों के प्रकाशन के लिए और अधिक कठोर (aggravated) सजा का प्रावधान करती है।

“Section 67 of the IT Act is the principal provision that criminalizes the publication or transmission of “obscene material” in any electronic form and constitutes an offence. Section 67A of the IT Act, is a more aggravated offence, prescribing enhanced punishment than the preceding provision. It does so by further amplifying the scope of ‘obscene material’...”

SUPREME COURT OF INDIA • 2024

स्रोत ESCR010004852024

09 Moiz Ahmed v. State of Maharashtra

BOMBAY HIGH COURT • 2024-12-06 • APPLN/1688/2020

यह मामला एक वीडियो क्लिप के प्रसार से संबंधित है जिसमें शिकायतकर्ता (Respondent No.2) और उनके पति को निजी क्षणों में दिखाया गया था। आरोपियों पर IPC की धारा 354, 354-C और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि चूंकि हमले या आपराधिक बल (criminal force) के तत्व अनुपस्थित थे, इसलिए धारा 354 का अपराध नहीं बनता है। हालांकि, न्यायालय ने पाया कि वीडियो क्लिप का प्रसार गंभीर है और निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह IPC की धारा 354-C के साथ-साथ Information Technology Act, 2000 की धारा 66E और 67 के तहत भी आरोप तय करने पर पुनर्विचार करे।

निर्णय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 354C (voyeurism) और आईटी अधिनियम की धारा 66E के बीच अंतर को स्पष्ट किया। न्यायालय ने माना कि धारा 354C केवल महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराधों पर लागू होती है, जबकि धारा 66E पुरुषों और महिलाओं दोनों के खिलाफ किए गए गोपनीयता के उल्लंघन के मामलों पर समान रूप से लागू होती है।

“The distinguishing feature between 354-C of the IPC and 66-E of the IT Act are that 354-C is attracted only against a woman whereas Section 66-E of the IT act applies to both man and woman. Likewise, Section 354-C speaks of a private act and 66-E speaks of ‘private area’.”

BOMBAY HIGH COURT • 2024

स्रोत HCBM030219402020

10 Jaykumar Bhagwanrao Gore v. The State of Maharashtra

BOMBAY HIGH COURT • 2017-01-09 • ABA/2220/2016

यह मामला एक विधायक पर लगे गंभीर आरोपों से संबंधित है, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उन्हें मोबाइल फोन पर अश्लील संदेश और चित्र भेजे गए थे और आरोपी ने यौन पक्षपात (sexual favour) की मांग की थी। आरोपी पर Indian Penal Code की विभिन्न धाराओं और Information Technology Act, 2000 की Section 67A के तहत मामला दर्ज किया गया था। न्यायालय ने माना कि कथित रूप से भेजी गई अश्लील सामग्री Section 67A के दायरे में आती है। न्यायालय ने आरोपी के आपराधिक इतिहास और जांच में सहयोग न करने के व्यवहार को देखते हुए, तथा मोबाइल फोन की बरामदगी और गहन पूछताछ की आवश्यकता के आधार पर उसकी अग्रिम जमानत (anticipatory bail) याचिका को खारिज कर दिया।

निर्णय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि आईटी अधिनियम की धारा 67A के अंतर्गत 'यौन स्पष्ट कृत्य' का दायरा द्विपक्षीय (bilateral) या एकपक्षीय (unilateral) गतिविधियों दोनों तक विस्तृत है। यदि कोई अश्लील छवि सीधे और स्पष्ट रूप से बिना किसी संदेह के यौन अंगों को प्रदर्शित करती है, तो वह धारा 67A के तहत गंभीर रूप से दंडनीय है।

“Insofar as the meaning of sexually explicit act under section 67A is concerned, [...] It does not require a bilateral sexual activity, it can be unilateral sexual activity but it should be explicit and not implied. Image exhibiting penis is lascivious, so is covered under section 67 of the Act which is bailable. The obscene image in the present case of erected handled penis is sexually explicit activity contemplated u/s 67A of the IT Act and hence, directly falls under section 67A of Information Technology Act.”

BOMBAY HIGH COURT • 2017

स्रोत HCBM010536642016

11 Esrar Nazrul Ahemad v. State of Maharashtra

BOMBAY HIGH COURT • 2022-06-10 • ABA/1459/2022

यह मामला एक अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) आवेदन से संबंधित है। आरोपी पर आरोप था कि उसने सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध के दौरान शिकायतकर्ता का नग्न वीडियो प्राप्त किया और बाद में उसे उसके पति और गांव में प्रसारित करके महिला को परेशान किया। आरोपी ने तर्क दिया कि ये कृत्य Section 67A of the Information Technology Act के दायरे में नहीं आते हैं। न्यायालय ने आरोपी के तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि एक महिला का नग्न वीडियो प्रसारित करना स्पष्ट रूप से गंभीर प्रकृति का अपराध है। न्यायालय ने यह माना कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है और तदनुसार उसकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

निर्णय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि सहमति से बने संबंधों के दौरान साझा किए गए नग्न वीडियो को बाद में संबंध बहाल न करने पर डरा-धमका कर पीड़ित के परिवार या सार्वजनिक रूप से प्रसारित करना आईटी अधिनियम की धारा 67A और आईपीसी की जबरन वसूली व उत्पीड़न की धाराओं के तहत एक गंभीर गैर-जमानती अपराध है।

“The complainant, aged 44 years [...] request the complainant to share her nude video [...] on a promise that after watching the video, he will immediately delete it, she has forwarded it on her WhatsApp. [...] when she refused, he threatened her that he is in possession of her nude video. Upon this threat, she again started meeting him. Immediately thereafter, she received the nude video on her Whatsapp and, thereafter, even her husband received the said video. The video was widely circulated in village.”

BOMBAY HIGH COURT • 2022

स्रोत HCBM010219282022

12 A6 and A7 v. State

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2016-11-18 • CRLP/13944/2016

यह मामला Criminal Petition Nos. 13944 और 14375 of 2016 से संबंधित है, जिसमें याचिकाकर्ताओं (A6 और A7) ने उनके खिलाफ S.C. No. 333 of 2016 में चल रही आपराधिक कार्यवाही को Section 482 Cr.P.C. के तहत रद्द करने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं पर IPC की Sections 354-A & C और Information Technology Act, 2000 की Section 67 के तहत आरोप लगाए गए थे। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि वे मूल FIR में नामित नहीं थे और उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। उच्च न्यायालय ने यह माना कि जाँच के दौरान दर्ज बयानों को भी चार्जशीट के साथ देखा जाना चाहिए। न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया (prima facie) गंभीर आरोप हैं, इसलिए कार्यवाही रद्द करने का कोई आधार नहीं है और याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।

निर्णय तेलंगाना उच्च न्यायालय ने माना कि किसी पीड़िता को उसकी आपत्तिजनक या संवेदनशील परिस्थितियों की वीडियो क्लिप को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना और शारीरिक या यौन संबंध बनाने की मांग करना आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत अश्लील सामग्री के प्रसारण की श्रेणी में आता है।

“This statement would clearly show the involvement of both A6 and A7 who demanded her to satisfy their sexual lust, and if those allegations are taken on its face value, it would attract the offence punishable under Section 67 of the Act. [...] threatening the de-facto complainant to transmit the video clippings recorded while she was being raped by A1-Mahendra and A2 would amount to cause to transmit or publish as per Section 67 of the Act.”

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2016

स्रोत HBHC010374952016

13 Manoj Dattatray Supekar v. State of Maharashtra

BOMBAY HIGH COURT • 2016-11-23 • BA/2131/2016

यह मामला Section 439 of the Code of Criminal Procedure, 1973 के तहत दायर की गई जमानत याचिका से संबंधित है। आवेदक पर Indian Penal Code की Sections 376, 292 (A) व 506 और Information Technology Act, 2000 की Section 67 (A) के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने यौन शोषण और वीडियो क्लिप प्रसारित करने का आरोप लगाया था। न्यायालय ने जांच दस्तावेजों का अवलोकन करते हुए पाया कि यह रिश्ता लंबे समय से consensual प्रतीत होता था। अपराध की प्रकृति और सजा की अवधि को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने आवेदक को शर्तों के साथ जमानत प्रदान की।

निर्णय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि यद्यपि आरोपी पर धारा 67A के तहत गंभीर आरोप हैं, लेकिन यदि जांच रिकॉर्ड दिखाते हैं कि दोनों पक्षों के बीच यौन संबंध काफी हद तक सहमति पर आधारित थे, तो न्यायालय नियमित जमानत आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकता है।

“Since the punishment for offence under section 67 (A) of the Information Technology Act, 2000 is for a term which may extend to 5 years, applicant deserves to be enlarged on bail.”

BOMBAY HIGH COURT • 2016

स्रोत HCBM010430332016

14 Apoorva Arora & Anr. v. State (Govt. of NCT of Delhi) & Anr.

SUPREME COURT OF INDIA • 2024-03-19 • 2024 INSC 223

यह मामला 'College Romance' वेब-सीरीज़ में प्रयुक्त अभद्र भाषा और अपशब्दों को लेकर दायर की गई FIR से संबंधित है। शिकायतकर्ता का आरोप था कि वेब-सीरीज़ की भाषा और शीर्षक अश्लील हैं, जो Sections 67 और 67A of the Information Technology Act, 2000 का उल्लंघन करते हैं। न्यायालय ने निर्णय दिया कि केवल अभद्र भाषा या अपशब्दों का प्रयोग 'अश्लीलता' (obscenity) की श्रेणी में नहीं आता। अश्लीलता का परीक्षण यह है कि क्या सामग्री कामुक है या लोगों के मन को भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति रखती है। चूंकि वेब-सीरीज़ के संदर्भ में इन शब्दों का उद्देश्य किसी को यौन उत्तेजित करना नहीं था, इसलिए न्यायालय ने माना कि कोई अपराध नहीं बनता है। अतः, सर्वोच्च न्यायालय ने High Court के आदेश को रद्द करते हुए FIR को खारिज कर दिया।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 67A का मुख्य उद्देश्य उन अश्लील सामग्रियों के प्रकाशन या प्रसारण को रोकना है जो नग्नता या प्रत्यक्ष रूप से यौन गतिविधियों को दर्शाती हैं। केवल अपशब्दों, अभद्र भाषा या गाली-गलौज के प्रयोग को इस धारा के तहत 'यौन स्पष्ट कृत्य' नहीं माना जा सकता।

“Section 67A criminalises publication, transmission, causing to publish or transmit in electronic form any material that contains sexually explicit act or conduct [...] the phrase may have to be seen in the context of ‘obscenity’ as provided in s.67 – Thus, there could be a connect between s.67A and s.67 itself”

SUPREME COURT OF INDIA • 2024

स्रोत ESCR010001992024

अस्वीकरण

यह मेमो Vitark AI द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध निर्णयों और उपयोगकर्ता के प्रश्न के आधार पर तैयार किया गया है। यह केवल रिसर्च सहायता के लिए है और कानूनी सलाह (legal advice) नहीं है। किसी भी filing, opinion, या correspondence में उपयोग करने से पहले सभी case citations, holdings और quotations को मूल निर्णय (source judgment) के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।